

02/04/24

पत्रावली पेश हुई / वसुलाय उभय पक्ष उपाय
 वसुलाय उभय पक्ष का कथन रहा कि
 न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश
 दिनांक 21.10.2022 माननीय न्यायालय
 अपर सेशन न्यायाधीश चिडावा के निर्णय
 दिनांक 21.12.2022 द्वारा नकारित किया
 जा चुका है अतः न्यायालय हाजा में
 उक्त पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष
 नहीं होने से पत्रावली को चलाये
 जाने का कोई औचित्य नहीं है
 पत्रावली के अवलोकन क उभय पक्ष
 के पक्षों पर नजर उपरोक्त स्पष्ट
 है कि पत्रावली में न्यायालय हाजा
 के स्तर से कोई कार्यवाही / सुनवाई
 शेष नहीं है अतः पत्रावली इस स्तर
 पर दारिकल दफ्तर ही जारी है

(R)
 02/04/24